श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली - 110016

विषय : दिनांक 14.5.2012 को आयोजित विद्वत् परिषद् की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ की विद्वत् परिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 14.5.2012 को अपराह्न 3:30 बजे कुलपति (प्रभारी) की अध्यक्षता में विद्यापीठ के सारस्वत साधना सदन के नवीन सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. उषा रानी कपूर	अध्यक्षा
2.	डॉ. दीप्ति एस. त्रिपाठी	सदस्या
3.	प्रो. लक्ष्मीश्वर झा	सदस्य
4.	प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय	सदस्य
5.	प्रो. नीना डोगरा	सदस्या
6.	प्रो. भास्कर मिश्र	सदस्य
7.	प्रो. नागेन्द्र झा	सदस्य
8.	प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित	सदस्य
9.	डॉ. भवेन्द्र झा	सदस्य
10.	प्रो. अमिता शर्मा	सदस्या
11.	प्रो. रमेश चन्द्र दाश शर्मा	सदस्य
12.	प्रो. हरिहर त्रिवेदी	सदस्य
13.	प्रो. देवीप्रसाद त्रिपाठी	सदस्य
14.	प्रो. कमला भारद्वाज	सदस्या
15.	प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा	सदस्य
16.	प्रो. शुकदेव भोई	सदस्य
17.	प्रो. एस.एन.रमामणि	सदस्या
18.	प्रो. सुदीप कुमार जैन	सदस्य
19.	प्रो. शुद्धानन्द पाठक	सदस्य
20.	प्रो. इच्छाराम द्विवेदी	सदस्य
21.	प्रो. वीरसागर जैन	सदस्य
22.	प्रो. महेश प्रसाद सिलौड़ी	सदस्य
23.	प्रो. हरेराम त्रिपाठी	सदस्य
24.	डॉ. देवदत्त चतुर्वेदी	सदस्य
25.	डॉ. रमेश प्रसाद पाठक	सदस्य

-: 2 :-

26. डॉ. संगीता खन्ना — सदस्या
27. डॉ. यशवीर — सदस्य
28. डॉ. बिहारी लाल शर्मा
29. डॉ. रामराज उपाध्याय
30. डॉ. विष्णुपद महापात्र
31. डॉ. गोपाल प्रसाद शर्मा
32. डॉ. अन्विता शर्मा
33. डॉ. बीके. महापात्र — सचिव

प्रो. हरिहर त्रिवेदी के मंगलाचरण के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। गहन विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

कार्यक्रम सं. 1 — **विद्वत् परिषद् की दिनांक 22.7.2011 को संपन्न हुई बीसवीं बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि ।**

विद्वत् परिषद् की दिनांक 22.7.2011 को संपन्न हुई बीसवीं बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि की गई।

कार्यक्रम सं. 2 — **विद्वत् परिषद् की दिनांक 22.7.2011 को संपन्न हुई बीसवीं बैठक की कार्यवाही पर किए गए क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन ।**

विद्वत् परिषद् की दिनांक 22.7.2011 को संपन्न हुई बीसवीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

कार्यक्रम सं. 3 — **योजना एवं अनुवीक्षण मण्डल की संस्तुतियों पर विचार।**

योजना एवं अनुवीक्षण मण्डल की दिनांक 10 मई 2012 को संपन्न हुई बैठक में लिये गए निर्णयों की पुष्टि की गई।

कार्यक्रम सं. 4 — **सत्रीय परीक्षाओं के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने पर विचार ।**

उक्त विषय पर विद्वत् परिषद् में कोई चर्चा नहीं हुई।

(44)

कार्यक्रम सं. 5 विद्वत् परिषद् की दिनांक 22.7.2011 को संपन्न हुई 20वीं बैठक के निर्णयानुसार विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली लागू करने पर विचार ।

उक्त विषय पर विद्वत् परिषद् में कोई चर्चा नहीं हुई।

कार्यक्रम सं. 6 परीक्षा विभागीय नियम-उपनियम बनाने हेतु समिति के गठन पर विचार।

उक्त विषय पर विद्वत् परिषद् में कोई चर्चा नहीं हुई।

कार्यक्रम सं. 7. विभागीय शोध-मण्डल की संस्तुतियों पर विचार।

उक्त विषय पर विद्वत् परिषद् में कोई चर्चा नहीं हुई।

कार्यक्रम सं. 8 सत्र 2012-13 के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्मित परिचय नियमावली की स्वीकृति।

1. डॉ. देवदत्त चतुर्वेदी द्वारा बैठक में यह प्रस्ताव दिया गया कि विद्यापीठ में आधुनिक विषयों को साहित्य विभाग के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए, जो कि विद्यापीठ की परम्परा है। किन्तु प्रो. सुदीप जैन ने कहा कि आधुनिक विषय, विद्यापीठ में साहित्य एवं संस्कृति संकाय के अंतर्गत आते हैं । इस विषय पर गहन चर्चा हुई तथा दोनों सदस्यों के विचारों में अन्तर होने के कारण इस विषय को विद्वत परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया ।

-: 4 :-

वास्तुशास्त्र एक विभाग के रूप में विद्वत परिषद की उन्नीसवीं बैठक (दिनांक 24.11.2010) के मद सं.19.8 में पारित किया जा चुका है एवं कार्यपरिषद की दिनांक 29.3.2011 को संपन्न हुई 74वीं बैठक के मद सं. 74.8 में भी इसकी पुष्टि की जा चुकी है।

3. डॉ. यशवीर द्वारा यह सुझाव दिया गया कि परिचय नियमावली के आरंभ में पूर्व कुलपतियों का भी संक्षिप्त परिचय दिया जाना चाहिए।

परिचय नियमावली 2012-13 पर गहन विचार-विमर्श किया गया लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया एवं इसे विद्वत् परिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ रखने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

कार्यक्रम सं. 9. अध्यक्षा महोदय की अनुमति से अन्य विषय ।

1. विद्वत् परिषद् के सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विद्यापीठ में अवकाश के दिनों में जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उन परीक्षाओं में आने वाले निरीक्षकों/प्राध्यापकों को क्षतिपूरक अवकाश दिया जाए।

इस संबध में कुलसचिव ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि यह विषय विद्वत् परिषद् के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए इस संबंध में विद्यापीठ के जो नियम निर्धारित हैं, वही लागू होंगे।

2. प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित ने कहा कि वर्तमान में आयोजित कराई गई अध्ययन-मण्डल की बैठकों में बाह्य विद्वानों को आमंत्रित नहीं किया गया है यह बैठकें जल्दबाजी में आंतरिक विद्वानों को सम्मिलित कर विभागीय स्तर पर आयोजित की गई हैं। इस सबंध में उन्होंने यह भी कहा कि आंतरिक विद्वानों को लेकर जो अध्ययन-मण्डल की बैठकें आयोजित की गई हैं, वह वैध नहीं हैं

तथा इन बैठकों में बाह्य विद्वानों को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3. बैठक में अन्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया किन्तु उन पर निर्णय नहीं हो पाया क्योंकि अधिकांश सदस्यों का यह मत था कि विद्वत परिषद् की इस बैठक की कार्यसूची उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई।

इस संबंध में कुलसचिव महोदय ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि अधिकांश विभागों से प्रस्ताव, बैठक आयोजित होने से एक दिन पूर्व ही प्राप्त हुए थे, इसलिए विद्वत् परिषद् के विचारार्थ प्रस्तावों को समय से सभी सदस्यों को वितरित नहीं किया जा सका ।

चूंकि अधिकांश मदों पर चर्चा नहीं हो पाई इसलिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विद्वत परिषद की आगामी बैठक शीघ्र ही बुलाई जाए जिससे लंबित विषयों पर निर्णय लिया जा सके।

अध्यक्षा महोदया एवं समस्त सदस्यों को धन्यवाद के उपरान्त शान्ति पाठ से विद्वत् परिषद् की प्रथम बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई।

(बीके. महापात्र)
कुलसचिव एवं सचिव

(उषा रानी कपूर)
कुलपति (प्रभारी) एवं अध्यक्षा